न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 03/2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

व्यवस्थापक, जी.एस.एस. ठीकरिया, ग्राम पंचायत ठीकरिया, पंचायत समिति अन्ता तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री शैलेश मेहता अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 28.06.2023

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, ठीकरिया, पंचायत समिति, अन्ता पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 11.529 क्विंटल गेंहू गबन किये जाने पर राशि 8313/– रूपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

3– अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए तथा वर्तमान व्यवस्थापक की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि पोषाहार अवधि 1995 से नवम्बर 1997 की ऑडिट राशि [illegible] गई है, लेकिन उक्त समय तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा ऑडिट [illegible] मा नही करवाया गया है, न ही ऑडिट बाबत् कोई दस्ता[illegible] है। प्रार्थी वर्तमान व्यवस्थापक ऑडिट राशि मूल रकम 8313 [illegible] पर तत्पर है, पत्र [illegible] रकम के साथ–साथ जो ब्याज राशि बताई गई है, [illegible]की छूट किया जाना [illegible] में अति आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.04 11:12:57 IST
Reason: SelfAttested

4– जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

5— हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 11.529 क्विं. गेंहू का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि 8313/— रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा ऑडिट राशि को जमा नही करवाया गया है, न ही ऑडिट बाबत् कोई दस्तावेज वर्तमान समिति के पास है। प्रार्थी वर्तमान व्यवस्थापक ऑडिट राशि मूल रकम 8313 रूपये जमा कराने हेतु तत्पर है, परन्तु ब्याज राशि में छूट किया जाना न्यायोचित होगा।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेंहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेंहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 8313/— रूपये निकाली गई है।

6— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी व्यवस्थापक, जी.एस.एस. ठीकरिया, ग्राम पंचायत ठीकरिया, पंचायत समिति अन्ता तहसील अन्ता, जिला—बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 8313/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.04 11:12:57 IST
Reason: SelfAttested